# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**अपील एल.आर. संख्या 2022 / 396 / जिला–भीलवाड़ा**

श्री भगवान लाल गाडरी पुत्र मोतीलाल गाडरी निवासी गांव तस्वारिया, गाडरी मोहल्ला, पोस्ट सांगानेर जिला भीलवाड़ा।

———अपीलार्थी

## बनाम

1. श्रीमती घीसी देवी पुत्री स्व0 भूरा गाडरी पत्नी काशीराम गाडरी निवासी तस्वारिया हाल निवासी सवाईपुर तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 22–11–2021
अन्तर्गत अपील संख्या 46 / 2021
बउनवान घीसी देवी बनाम सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री घनश्याम सिंह लखावत अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री श्याम लाल गुर्जर अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

## निर्णय

दिनांकः– 06–02–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 5–12–1978 के विरूद्ध अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–11–2021 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 5–12–1978 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार भीलवाड़ा को रिमाण्ड कर निर्देश प्रदान किये कि प्रकरण में मृतक भूरा पिता मोडा गाडरी के विरासतन की सम्पूर्ण जांच कर, हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर एवं सभी तथ्यों व दस्तावेजात की जांच कर एवं मृतक मोती के वारिसान की भी सम्पूर्ण जांच कर अजसिरे से

निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया कि दिनांक 18–4–2022 को हल्का पटवारी से प्रार्थी मिलने गया तो पटवारी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 22–11–2021 को अपीलार्थी के पिता के नाम पारित नामान्तरकरण निरस्त हो जाने बाबत जानकारी दी इस पर उसी दिन आवश्यक दस्तावेज नकले आदि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 25–4–2022 को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी को प्राप्त हुई तथा अभिभाषक से विधिक सलाह लेकर अजमेर आकर अपील तैयार करवाकर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील में किसी प्रकार की सफलता होना संभव नहीं है क्योंकि जिस गोदनामें को लेकर अपीलार्थी ने अपनी ओर से द्वितीय अपील प्रस्तुत की है तथा कथित गोदनामा ही विधि के विपरीत है क्योंकि गोदनामें में प्राकृतिक माता–पिता व गोद माता–पिता के मध्य गिविंग एण्ड टेकिग नहीं हुआ है इसके साथ विवादित गोदनामा जो एक मात्र देउ पत्नी मोती गाडरी ने अपने पति मोती गाडरी के पश्चात निष्पादित कर पंजीकृत करवाया जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत प्रस्तुत करते समय अपलार्थी को पक्षकार बनाने की कोई औचित्यता नहीं थी क्योंकि विवादित नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 5–12–1978 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा ने अंतिम विनिश्चय किया है जिससे तहसीलदार भीलवाड़ा को आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित कर अपील प्रस्तुत की गई। यदि अपीलार्थी अपील में अपने आपको हितबद्ध पक्षकार मानता है तो दीवानी प्रक्रिया संहिता आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 के तहत न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर पक्षकार के रूप में संयोजित होने के लिए स्वतंत था लेकिन अपीलार्थी अपनी ओर से पक्षकार संयोजित होने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अपीलार्थी का यह कहना गलत है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं थी।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 3 में अंकित तथ्य असत्य व निराधार है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22–11–2021 के क्रम में हल्का पटवारी के पास दिनांक 18–4–2022 को ही क्यों गया इससे पहले भी पटवारी हल्का के पास जानकारी करने हेतु जाने के लिए स्वतंत्र था केवल मात्र द्वितीय अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा कराने के लिए इस प्रकार असत्य निराधार कथन किये है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि अपीलार्थी भगवानलाल के बारे में प्रत्यर्थी संख्या 1 घीसी देवी को जानकारी होते हुए तथा देउ देवी की मृत्यु होने के पश्चात विधिक वारिस भगवानलाल के होने का तथ्य पूर्व में की गई कार्यवाही में स्वयं घीसी देवी द्वारा वर्णित किये जाने के उपरान्त भी वर्तमान अपील में मात्र तहसीलदार भीलवाड़ा को पक्षकार अंकित कर जो कार्यवाही की गई है वह पूर्णतया विधिविरूद्ध है तथा अपीलार्थी अपील संख्या 46/2021 में आवश्यक पक्षकार है तथा अपीलार्थी के हक अधिकार अपीलाधीन आदेश से पूर्णतया प्रभावित होते है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को पक्षकार बनाए बिना प्रस्तुत की गई अपील ही पोषणीय नहीं थी इस कारण अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। इस कारण अपीलार्थी अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–11–2021 से व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थी को उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त तर्को से अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त प्रार्थना पत्र की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील मीमों में किसी भी प्रकार से अपीलार्थी को सफलता हासिल नहीं हो सकती क्योंकि अपीलार्थी ने जिस गोदनामें को आधार स्तम्भ लिया जाकर अपील प्रस्तुत की है प्रथम दृष्टया गोदनामा ही विधि के विरूद्ध निष्पादित किया जाकर पंजीयन करवाया गया है ऐसे गोदनामें के आधार पर अपीलार्थी को सफलता हासिल होना असंभव है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील में पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक नहीं था क्योंकि प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के आदेश के विरूद्ध की गई जिससे एक मात्र तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रत्यर्थी पक्षकार के रूप में संयाजित करने में कोई कानूनी भूल नहीं की। यदि अपीलार्थी भगवान लाल प्रस्तुत अपील मीमों में अपने आपको हितबद्ध पक्षकार होना मानता है तो स्वयं दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 01 नियम 10 के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर पक्षकार बनने के लिए स्वतंत्र था। विवादित आराजियात प्रत्यर्थी संख्या–1 के कब्जे काश्त की होने से अपीलार्थी का उक्त आराजियात पर कोई हक अधिकार निहित नहीं है। अतः अपीलार्थी का धारा 96 जा0दी0. का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्षों की धारा–96 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलान्ट का धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपील के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर भी उभय पक्षों को सुना गया। अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि अपीलार्थी भगवानलाल को जरिये पंजीकृत गोदपत्र देउ बेवा मोती गाडरी द्वारा उनके पति मोती गाडरी द्वारा गोद लिये जाने के कारण गोदपुत्र होने से गोदनामे का पंजीयन करवाया था तथा भगवान लाल मोती का दत्तक पुत्र होने से माता देउ भी पुत्र भगवानलाल के साथ ही रहती थी तथा इसी अनुसार परिवार राशन कार्ड में भी प्रविष्टि की गई थी तथा परिवार के सदस्यों में देउ देवी को माता भगवान लाल गाडरी के रूप में अंकित किया जाता रहा तथा अपीलार्थी भगवानलाल को आधार कार्ड आदि में भी यहीं प्रविष्टियां अंकित होती रही है। दिनांक 28–3–2021 को देउ देवी पत्नी मोतीलाल की मृत्यु हो गई तथा अपीलार्थी द्वारा विरासत का नमान्तरकरण खुलवाए जाने का प्रयास किया इसी दौरान घीसी देवी द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में एक प्रकरण प्रस्तुत किया तत्पश्चात प्रकरण 9–12–2021 को नोटप्रेस किया गया इसके उपरान्त अपीलार्थी ने नामान्तकरण हेतु पुनः प्रयास किया परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी ने विवादित गोदनामें के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो पोषणीय नहीं है। मु0 देऊ बेवा मोती गाडरी द्वारा अपीलार्थी द्वारा गोद लजेने का उल्लेख अपने गोदनामें में किया जो विधिविरूद्ध है क्योंकि गोदनामा प्राकृतिक माता–पिता व गोद के माता–पिता के मध्य गोद लेना व देना साबित किया जाना आवश्यक होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत गोदनामें में मात्र देऊ बेवा मोती द्वारा ही गोद लेना बताया जो प्रत्यर्थी संख्या के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त विवादित व विधिविरूद्ध पंजीकृत गोदनामें को निरस्त करवाने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा सिविल न्यायाधीश पश्चिम के न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो वर्तमान मे विचाराधीन है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बाबत निरस्तीकरण गोदनामा का सिविल न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक उक्त अपील में प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाकर कार्यवाही को स्थगित रखी जावे। अतः प्रत्यर्थी संख्या–1 का प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्षों की आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात प्रत्यर्थी संख्या–1 का प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपील का निर्णय करते हुए नामान्तरकरण संख्या 121 त्रूटिपूर्ण मानने बाबत अंकित किया है उसमें पटवारी हल्का द्वारा भूरा पुत्र मोडा गाडरी के विरासत की सम्पूर्ण जानकारी किए बिना ही तहसीलदार को रिपोर्ट करना अंकित किया है जबकि नमान्तकरण के प्रकरण में भू–अभिलेख में प्रावधान है उसी अनुसार पटवारी द्वारा रिपोर्ट की गई थी तथा भूरा पुत्र मोती के नाम नामान्तकरण स्वीकार किये जाने बाबत इसी अनुसरण में तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया था इसके अतिरिक्त अन्य कोई जांच किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने इस बिन्दु को नजर अन्दाज किया कि भूरा की विरासत मोती के नाम अंकित होने के पश्चात मोती की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी देउ के नाम विरासत अंकित की जा चुकी थी तथा देउ की मृत्यु हो चुकी थी जिसकी विरासत अंकित की जानी थी इन समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने वर्ष 1978 में पारित नामान्तकरण को 43 वर्ष पश्चात निरस्त कर कानूनी भूल की है जो इस अपील के माध्यम से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का आधार ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 11–11–2021 को बनाया जबकि इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी करने का ग्राम पंचायत या पंचायत राज द्वारा चुने गए जन

प्रतिनिधियों को विधि अनुसार नहीं है किसी की विरासत या सजरा बाबत कोई प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत या वार्ड पंच को नहीं है इस बाबत राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट आदेश जारी कर इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करने तथा सजरा जारी करने पर रोक लगाई जा चुकी है। प्रत्यर्थी संख्या 1 घीसी देवी, भूरा गाडरी की पुत्री नहीं है तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति छिपाते हुए पूर्व में घीसी द्वारा की गई कार्यवाही के तथ्यों को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। साथ ही मियाद के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचन नहीं कर अपील का निस्तारण कर दिया जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है तथा नामान्तकरण संख्या 121 तथा राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों की जानकारी घीसी देवी को पहले से ही थी ऐसी स्थिति में फिर भी घीसी देवी ने तथ्यों को छिपाते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो पूर्णतया विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल था। अपीलार्थी भगवान के बारे में घीसी देवी को जानकारी होते हुए भी तथा देउ देवी की मृत्यु होने के पश्चात विधिक वारिस भगवानलाल के होने का तथ्य पूर्व में की गई कार्यवाही में स्वयं घीसी देवी द्वारा वर्णित किए जाने के उपरान्त भी वर्तमान अपील में मात्र तहसीलदार भीलवाड़ा को पक्षकार बनाकर कार्यवाही की जो विधि के प्रावधानो के प्रतिकूल है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2021 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिये कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन है। अपीलार्थी ने विवादित आराजियात को विक्रय कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण संख्या 121 दिनांक 5–12–1978 को निरस्त करने में कोई कानूनी त्रूटि नहीं की है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 मु0 घीसी मृतक भूरा की जायन्दा पुत्री है और पुत्री होने के कारण पिता भूरा के निधन होने के बाद मोती पिता भूरा के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 121 संस्थित कर दिनांक 5–12–1978 को निर्णय करने में कानूनी भूल की गई क्योंकि पुश्तैनी कृषि भूमि में पुत्र के साथ–साथ पुत्री का भी समान अधिकार है जबकि तत्समय मु0 घीसी के पिता भूरा का निधन होने पर भाई मोती का नाम विरासत से दर्ज किया और मृतक भूरा की पुत्री को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मृतक पिता भूरा की पुत्री घीसी का भी वैधानिक हक हिस्सा होने के कारण मु0 घीसी की और से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया था। स्थानीय निकाय को अपने ग्राम में निवास करने वाले व्यक्ति के विधिक वारिसान के बारे में पुष्टि करने में कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है और इसी वजह से स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत ने मृतक भूरा के विधिक वारिसान का प्रमाण पत्र जारी किया है जो विधिसम्मत है।

उनका यह भी तर्क है कि स्व0 मोती पत्नी मु0 देउ ने अपने पति मोती के निधन के बाद स्वयं अकेली ने अपीलार्थी के पक्ष में गोदनामा निष्पादित कर पंजीकृत कराया गया जो विधिमान्य नहीं है क्योंकि गोदनलामें में गोद के माता–पिता व प्राकृतिक माता–पिता के मध्य पुत्र का गोद लेना व देना साबित होना चाहिए तथाकथित गोदनामें ऐसा नहीं किया गया है और ऐसा गोदनामा विधिमान्य नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा गोदनामा को निरस्ती हेतु सिविल कोर्ट में दावा पेश किया हुआ है। अपीलार्थी को अपील करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने तहसीलदार को पक्षकार इसलिए बनाया कि उसके द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही की जाती है। अपीलार्थी ने घीसी सगी पुत्री को अपने हको से वंचित कर दिया। घीसी अनपढ़ है जिसको जानकारी नहीं थी। उपखण्ड अधिकारी के यहां अपील नोटप्रेस इसलिए किया कि पंचायत का नामान्तकरण नहीं था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित गोदनामा का निस्तारण सिविल कोर्ट से होगा। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। गाम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर विकास अधिकारी के भी हस्ताक्षर है। प्रत्यर्थी संख्या 1 घीसी भूरा की पुत्री है। तहसीलदार ने अपीलार्थी को दिनांक 15–11–2022 व 29–11–2022 की आदेशिका में साक्ष्य हेतु समय दिया गया किन्तु कोई साक्ष्य नहीं दी गई। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा भूरा पिता मोडा गाडरी की मृत्यु उपरान्त उसके जायन्दा पुत्र मोती पुत्र भूरा गाडरी के नाम से नामान्तकरण संख्या 121 दिनांक 5–12–78 स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–11–2021 से प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 121 दिनांक 5–12–1978 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार, भीलवाड़ा को रिमाण्ड कर निर्देशित किया कि प्रकरण में मृतक भूरा पिता मोडा गाडरी के विरासतन की सम्पूर्ण जांच कर, हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर एवं सभी तथ्यों एवं दस्तावेजात की जांच कर एवं मृतक मोती के वारिसान की भी सम्पूर्ण जांच कर अजसिरे से निर्णय पारित करे। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक मुंतकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 52 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत कर प्रकरण संख्या 45/2022 उनवान भगवानलाल बनाम घीसी देवी को अतिरिक्त संभागीय आुक्त अजमेर से अन्य सक्षम न्याालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया गयां। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय

संभागीय आयुक्त को उभय पक्षों को सुनकर विधिअनुसार आदेश पारित करने हेतु प्राप्त हुआ।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों की विधिअनुसार सुनवाई हेतु तहसीलदार, भीलवाड़ा से मूल अभिलेख इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 11934–35 दिनांक 21–11–2022 से चाहा गया। तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 22–11–2021 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रकरण संख्या 12/2022 दर्ज कर सुनवाई कर दिनांक 30–11–2022 को प्रकरण में निर्णय पारित कर विवादित आराजियात में मु0 देउ पत्नी मोती गाडरी का 1/3 हिस्सा निहित होकर अभिलिखित है वर्णित 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1/6 हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 1 मु0 घीसी पुत्री भूरा गाडरी व शेष 1/6 हिस्सा अपीलार्थी भगवान लाल मु0 मोती गाडरी के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित कर दिया। चूंकि प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर में निर्णय हेतु प्राप्त हुआ था और तहसीलदार, भीलवाड़ा से मूल अभिलेख दिनांक 21–11–2022 को ही चाहा गया था तो तहसीलदार को प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिए था किन्तु तहसीलदार, भीलवाड़ा ने विवादित आराजियात से संबंधित प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही आनन–फानन में आदेश दिनांक 30–11–2022 पारित कर दिया जो विधिसगंत प्रतीत नहीं होता है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा गोदनामें को निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया हुआ है जिसमें तारीख पेशी 12–7–2022 नियत थी। उत्तराधिकार एवं संरक्षण अधिनियम 1956 की धारा 11 के अनुसार विधि मान्य दत्तक के लिए यह आवश्यक है कि दत्तक लिया जाना व दत्तक दिया जाना साबित होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी को देउ बेवा मोती गाडरी द्वारा गोद लिये जाने का अंकन किया है जबकि गोद लेने व देने के दौरान लेने वाले माता–पिता व देने वाले माता पिता की सहमति आवश्यक है जबकि देउ बेवा मोती द्वारा ही गोदनामा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित कराया है जबकि गोदनामा निष्पादित करते समय माता पिता दोनों का जीवित होना आवश्यक है। चूंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी संख्या–1 घीसी पुत्री भूरा प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण उसके पिता भूरा के हिस्से की आराजियात में उसका पूर्ण हक एवं अधिकार है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार, भीलवाड़ा ने प्रत्यर्थी संख्या–1 को बिना सुनवाई व साक्ष्य के अवसर दिये व भूरा के विधिक वारिसानों की जांच किये बिना ही आक्षेपित नामान्तकरण संख्या 121 दिनांक 5–12–1978 पारित कर दिया जो एबनिशियो वोईड है, ऐसे आदेशों को चुनौती देने की कानूनन कोई समयावधि नहीं है जिन्हें जानकारी दिनांक से कभी भी चुनौती दी जा सकती है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि पूर्व में पुष्पा देवी को बेचान की जा चुकी है जिसको तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि विवादित आराजियात में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ–साथ अन्य व्यक्ति भी प्रभावित पक्षकार है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त स्थिति के मध्यनजर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2021 एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–11–2022 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2021 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 46/2021 बउनवानी घीसी देवी बनाम राजस्थान सरकार एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2022 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 12/2022 बउनवान श्रीमती घीसी देवी बनाम भगवानलाल विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जाता है और प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे भूरा पुत्र मोडा गाडरी के विधिक वारिसानों एवं विवादित आराजियात से संबंधित प्रभावित सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाकर उनकी विधिवत सुनवाई करवाकर उनकी जांच करवाकर उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर दस्तावेजी साक्ष्यों का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 06–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(भंवर लाल मेहरा)**
**संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**